पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या -12121

==========

विष्णु कांत दास शिष्य स्वर्गीय महंत किशोरी दास निवासी -रामजानकी ठाकुरबाड़ी, तिवारी पोखर, भौवारा, थाना और जिला- मधुबनी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अपने अध्यक्ष के माध्यम से, पता - विद्यापति मार्ग, शहर और जिला-पटना ।
2. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना के माध्यम से ।
3. कलेक्टर, मधुबनी, शहर और जिला- मधुबनी ।
4. अपर कलेक्टर, मधुबनी, शहर और जिला- मधुबनी ।
5. उप कलेक्टर, भूमि सुधार, जिला- मधुबनी ।
6. जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार, नगर एवं जिला-मधुबनी.
7. अंचल अधिकारी, रहिका, जिला-मधुबनी ।
8. बीबी नुजहत खातून, पत्नी मोतीउर रहमान, निवासी, ग्राम- कमतौल थाना- कमतौल, जिला-दरभंगा ।
9. मोतिउर रहमान पुत्र स्वर्गीय अली अकबर, निवासी, ग्राम- कमतौल, थाना-कमतौल, जिला-दरभंगा.
10. मोहम्मद नूरुल्लाह, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद रजिक हुसैन, निवासी भौवारा मनिहार, मुहल्ला/वार्ड नं. 23, थाना और जिला-मधुबनी.
11. मो. समीउल्लाह, पुत्र स्वर्गीय मो. आशिक हुसैन, निवासी भौवारा मनिहार, मुहल्ला/वार्ड नं. 23, थाना और जिला-मधुबनी.

12. मोहम्मद इफ्तिखार अहमद, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद आशिक हुसैन, भौवारा निवासी मनिहार, मुहल्ला/वार्ड नं. 23, थाना और जिला-मधुबनी.

13. मो. अमानतुल्लाह अंसारी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वादीद, निवासी, ग्राम-भोवारा, नगर एवं जिला-मधुबनी।

14. अब्दुल मन्नान पुत्र- अब्दुल बदूद, निवासी, ग्राम-भौरा, नगर और जिला-मधुबनी.

15. सतीश प्रसाद महासेठ पुत्र- रघुनंदन महासेठ, निवासी ग्राम -भोवारा, नगर एवं जिला-मधुबनी।

..... प्रतिवादी

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री वाई वी गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री राजीव प्रकाश, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री राज किशोर रॉय, जीपी-18
बीएसबीआरटी की ओर से	:	श्री गणपति त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 10-12 के लिए	:	श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 15 के लिए	:	श्री रंजीत कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

==========

भारत का संविधान--- अनुच्छेद २२६---बिहार बोर्ड विविध नियम, १९५८---नियम ३५६, ३५७, ३५८, ३६१---बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५०---धारा २८(१), ४३---धार्मिक ट्रस्ट और संपदा----मधुबनी के कलेक्टर द्वारा पारित २२.०२.२०१८ के आदेश को चुनौती देने के लिए रिट याचिका, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का यह दावा कि वह महंत राम किशोरी दास का उत्तराधिकारी और श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी ("ठाकुरबाड़ी") का ट्रस्टी है, खारिज कर दिया गया था---ठाकुरबाड़ी की संपत्ति में

हस्तक्षेप करने से राज्य के अधिकारियों को रोकने के लिए भी प्रार्थना---दलील कि बिना किसी वैध कार्यवाही या सार्वजनिक नोटिस के, ठाकुरबाड़ी की भूमि को दखलअंदाजी संपत्ति घोषित कर दिया गया है।

निर्णयः इस तथ्य के बावजूद कि ठाकुरबाड़ी की भूमि को किसी ट्रस्टी या शेबैत द्वारा संरक्षित करने की मांग की गई थी और नवोदित संपत्ति महंत की थी, लेकिन मंदिर की भूमि के अंतिम मालिक स्वयं देवता को कहा जाता है --- यदि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, तो हिंदू कानून के तहत, मंदिर / ठाकुरबाड़ी की मूर्ति एक कानूनी व्यक्ति है और इसलिए, मंदिर का स्वामित्व और मूर्ति के सामने चढ़ाए गए प्रसाद सहित इसकी सभी बंदोबस्ती मूर्ति की संपत्ति बनती है --- स्पष्ट रूप से नियुक्त या पहचान किए गए शेबैत की अनुपस्थिति में, कानून ने एक वास्तविक शेबैत की मान्यता द्वारा मूर्ति की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है --- चूंकि धार्मिक न्यास बोर्ड और कुछ अन्य हितधारकों को अपने मामलों को रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए धार्मिक न्यास बोर्ड को बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 43 के तहत सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है --- रिट का निपटारा किया गया। (पैरा 2, 6, 42, 43, 44, 50)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

दिनांक: 10-05-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई.वी. गिरी, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री राज किशोर रॉय, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री गणपति त्रिवेदी, प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार और प्रतिवादी संख्या 15 के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार मिश्रा को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका में कलेक्टर, मधुबनी द्वारा पारित दिनांक 22.02.2018 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का यह दावा खारिज कर दिया गया कि वह महंत राम किशोरी दास का उत्तराधिकारी और श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी (संक्षेप में "ठाकुरबाड़ी") का ट्रस्टी है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3, समाहर्ता, मधुबनी को तिवारी पोखर, भौरा, मधुबनी में स्थित ठाकुरबाड़ी की संपत्ति में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश देने की मांग की । इसके अलावा, आधिकारिक प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण के बदले में प्रतिवादी संख्या 8 से 15 को ठाकुरबाड़ी की भूमि वितरित करने से रोकने के लिए, बिहार बोर्ड विविध नियम, 1958 (संक्षेप में "नियम 1958") के नियम, 356 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी/राज्य द्वारा ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट की भूमि को सरकारी भूमि के रूप में घोषित करके इसे सरकारी भूमि के रूप में माना जाता है।

3. वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए प्रेरित करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी तिवारी पोखर, भौरा, मधुबनी में स्थित है, जो

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (जिसे आगे "बीएसबीआरटी" कहा जाएगा) के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट है। एक महंत राम किशोरी दास ठाकुरबाड़ी के ट्रस्टी थे। महंत राम किशोरी दास की मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे याचिकाकर्ता को छोड़ गए, जो उनके शिष्य/शबैत और उनके कानूनी उत्तराधिकारी थे और इस प्रकार उन्हें ठाकुरबाड़ी और उसकी संपत्ति विरासत में मिली और उन्हें बीएसबीआरटी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त महंत के रूप में इसका अधिकार प्राप्त हुआ। तब से याचिकाकर्ता लगातार *पूजा* कर रहे हैं और ठाकुरबाड़ी की देखभाल कर रहे हैं और अन्य देवताओं की मदद और दान के साथ ठाकुरबाड़ी की भूमि संपत्ति की आय से शिष्य /शबैत और कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में इसका जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं।

4. जब याचिकाकर्ता शांतिपूर्वक *पूजा*-अर्चना कर रहा था, अचानक कलेक्टर, मधुबनी ने दिनांक 28.11.1979 को बीएसबीआरटी, पटना के अध्यक्ष को पत्र जारी कर स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की संपत्ति के नियंत्रण के संबंध में जानकारी मांगी, जिसमें कहा गया कि महंत राम किशोरी दास की मृत्यु उनके उत्तराधिकारी को नामित किए बिना हुई है, इसलिए ठाकुरबाड़ी पर कोई नियंत्रण नहीं है। बोर्ड को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया गया कि ठाकुरबाड़ी बोर्ड के साथ पंजीकृत थी या नहीं। यदि यह पंजीकृत नहीं थी, तो महंत राम किशोरी दास की मृत्यु के बाद ठाकुरबाड़ी के प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई की गई और यदि अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, तो राज्य सरकार इसका नियंत्रण ले लेगी।

5. उपर्युक्त पत्र के जवाब में बोर्ड ने दिनांक 19.12.1979 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि चूंकि बोर्ड को स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बोर्ड के माध्यम से ट्रस्ट की देखरेख का कोई सवाल ही नहीं उठता। बोर्ड के अधीक्षक ने बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 (संक्षेप

में "अधिनियम, 1950") की धारा 28(1) के अनुसार सभी धार्मिक ट्रस्ट पर अपनी पर्यवेक्षी शक्ति को स्वीकार करते हुए कलेक्टर, मधुबनी से अस्थायी ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी का नाम भेजने का अनुरोध किया।

6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उपर्युक्त पत्राचार के बाद प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से कोई संवाद नहीं किया गया और अचानक, बिना किसी वैध कार्यवाही या सार्वजनिक सूचना के, ठाकुरबाड़ी की भूमि को कुर्क संपत्ति घोषित कर दिया गया।

7. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वाई.वी. गिरि ने उपरोक्त तथ्यों का हवाला देते हुए जोरदार ढंग से तर्क दिया कि राज्य ने आश्चर्यजनक रूप से यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट पूरी तरह से बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की भूमि/संपत्ति को कुर्क घोषित करने के आधार पर मनमाने ढंग से ठाकुरबाड़ी की भूमि को सरकारी भूमि मान लिया है। आगे यह भी कहा गया है कि कलेक्टर, मधुबनी ने बाद में, मेमो संख्या 9 मु/रा दिनांक 09.01.1987 में निहित एक पत्र लाया, जिसमें इस तथ्य का खुलासा किया गया कि स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास के नाम पर श्री राम जानकी ट्रस्ट की संपत्ति पहले से ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है और इसे निजता घोषित किया गया है और, बाद में, ट्रस्ट की संपत्ति पर एक स्टेडियम के निर्माण के लिए, निजी प्रतिवादियों से संबंधित 4.22 एकड़ की आसन्न भूमि भी अधिग्रहित की गई थी। भूमि स्वामियों की मांग पर, स्टेडियम के बाहर स्थित ठाकुरबाड़ी से संबंधित भूमि से अधिग्रहित भूमि के विनिमय के लिए राजस्व विभाग से अनुमोदन मांगा गया था, जिसके बारे में कथित तौर पर दावा किया गया था कि वर्ष 1983 में बिहार सरकार ने नियम 1958 के नियम 356 और 361 के प्रावधानों के अनुसार भूमि को जब्त घोषित कर अपने अधीन कर लिया था।

8. इस प्रकार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 9 मु/रा दिनांक 09.01.1987 में निहित अधिसूचना पूर्णतः मनमानी एवं अवैध है, जिसमें विचाराधीन भूमि को दखल-अधिग्रहण घोषित करने के लिए कोई वैध कार्यवाही नहीं है और न ही प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई आदेश जारी किया गया है।

9. यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आवेदन संख्या 1/2023 दाखिल करके मधुबनी जिला राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.11.1983 के प्रारूप को भी चुनौती दी है, जिसके तहत स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की 14.08 एकड़ भूमि वाले संपत्ति के किसी भी दावे के संबंध में तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्ति आमंत्रित की गई थी।

10. चुनौती विभिन्न आधारों पर दी गई है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह भी है कि जिस अधिसूचना द्वारा संपत्ति को नियम 356/361, 1958 के प्रावधान के तहत जब्त घोषित किया गया था, वह अधिसूचना न तो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी और न ही प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कोई अंतिम राजपत्र प्रकाशन प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार यह जब्त की वैध घोषणा नहीं है, जो स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की भूमि पर राज्य को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करती है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते शेबैत के रूप में काम कर रहे हैं, इस प्रकार, ठाकुरबाड़ी की संपत्ति को जब्त घोषित करना अवैध, मनमाना और कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।

11. तत्पश्चात, समाहर्ता, मधुबनी ने सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार को सूचित किया कि नियमावली, 1958 के अन्तर्गत विधिक उत्तराधिकारी के अभाव के कारण वर्ष 1983 में जिस भूमि को अधिगृहीत सम्पत्ति घोषित किया गया था, उस पर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। आगे बताया गया कि अधिगृहीत घोषित भूमि के अतिरिक्त स्टेडियम निर्माण हेतु छः अन्य व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 4.22 एकड़ है। जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, उन्होंने अपनी अधिग्रहित भूमि के विनिमय का दावा किया। इस प्रकार, समाहर्ता, मधुबनी ने सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार को स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की भूमि से अधिग्रहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव दिया, ताकि स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अधिग्रहित भूमि को उन व्यक्तियों को दिया जा सके, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

12. सरकार के उप सचिव (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) ने मामले में आगे निर्देश मांगा। इस बीच, रिट याचिकाकर्ता ने भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में कलेक्टर, मधुबनी की कार्रवाई से व्यथित होकर, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 995/1996 दायर किया, जिसमें प्रतिवादी-अधिकारियों को प्रश्नगत संपत्ति पर आगे निर्माण करने से रोकने और दिनांक 23.01.1993 और 21.03.1994 के पत्रों को प्रभावी न करने का निर्देश देने की मांग की। मामले की अंतिम सुनवाई हुई और दिनांक 30.01.2015 के आदेश के तहत इसका निपटारा किया गया, जिसमें प्रतिवादी/राज्य को न केवल याचिकाकर्ता बल्कि बीएसबीआरटी को भी सुनवाई का अवसर देकर मामले में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

13. रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा संरक्षित की जाने वाली ठाकुरबाड़ी की भूमि महंत की नहीं थी। महंत

केवल ठाकुरबाड़ी के मामलों का प्रबंधन कर रहे थे और वास्तव में देवताओं को ही भूमि का स्वामी कहा जाता था। यदि ऐसा है, तो ठाकुरबाड़ी की संपत्ति के दखल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर कलेक्टर, आयुक्त या राजस्व विभाग सहित किसी ने भी विचार नहीं किया है और सभी ने केवल यह मानकर आगे बढ़े हैं कि महंत की मृत्यु की तिथि के बाद ठाकुरबाड़ी की भूमि दखल हो गई है। विद्वान न्यायालय ने 04.02.1998 को पारित अंतरिम आदेश को इस सीमा तक पूर्ण बनाने की कृपा की है कि प्रतिवादी बिहार राज्य और उसके प्राधिकारियों को प्रश्नगत संपत्ति पर आगे निर्माण करने से रोक दिया जाएगा।

14. इस न्यायालय के दिनांक 30.01.2015 के आदेश के अनुसरण में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 995/1996 तथा दिनांक 29.10.2015 के आदेश के अनुसरण में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 23573/2012 जो प्रतिवादी संख्या 8 से 11 द्वारा दायर किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को प्रतिवादी-जिला समाहर्ता, मधुबनी के समक्ष रिट याचिका में सभी दलीलों को उठाते हुए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ एक नया व्यापक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी, सभी संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, प्रक्रिया सर्वर ने नोटिस पर एक रिपोर्ट का समर्थन किया कि याचिकाकर्ता उक्त पते पर नहीं रह रहा था। जिला समाहर्ता, मधुबनी ने सभी संबंधितों को सुनवाई का अवसर देने के बाद 22.02.2018 को एक तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित किया, जिस आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि ने दिनांक 22.02.2018 के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने माननीय न्यायालय के अवलोकन पर विचार नहीं किया तथा बीएसबीआरटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि

प्रतिवादी-समाहर्ता ने याचिकाकर्ता के दावे को विफल करने के लिए स्टेडियम के निर्माण पर उनकी अनापत्ति के संबंध में 06.02.2018 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामे को ध्यान में रखा है, जिसे याचिकाकर्ता के विनम्र निवेदन के अनुसार अपर समाहर्ता, मधुबनी ने झूठा वादा करके स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा, समाहर्ता के समक्ष सुनवाई का नोटिस जानबूझकर उन्हें नहीं दिया गया था तथा प्रोसेस सर्वर ने गलत घोषणा की है। उन्होंने दलील दी कि राज्य प्रतिवादी के रुख के अनुसार, याचिकाकर्ता स्वयं अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष शपथ पत्र देने के लिए उपस्थित था, फिर कलेक्टर के समक्ष सुनवाई की तारीख के संबंध में उसे सूचित न करने का क्या कारण या अवसर था।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि राज्य अधिकारियों की दलील है कि याचिकाकर्ता को ज्ञापांक संख्या 2470 दिनांक 25.09.1987 के तहत स्टेडियम में दैनिक वेतन पर चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था और सभी तथ्यों को जानने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने बीएसबीआरटी द्वारा आपत्ति किए जाने तक कभी कोई आपत्ति नहीं की, याचिकाकर्ता के दावे को हराने के अलावा और कुछ नहीं है।

17. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि आरोपित आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास के शेबैत के रूप में उनके द्वारा धारित ट्रस्ट की संपत्ति से वंचित किया जाता है, एक कार्यवाही के आधार पर जो कानून की दृष्टि में बिल्कुल भी उचित नहीं थी। इसके अलावा, ट्रस्ट की संपत्ति को सरकार में निहित करने का दावा करते हुए बिना किसी मुआवजे के ट्रस्ट की संपत्ति को अधिग्रहित करने की प्रतिवादी(ओं) की कार्रवाई, पूरी तरह से अवैध, अनुचित और कानून के स्थापित सिद्धांत का घोर उल्लंघन है।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **श्री अलख नारायण दराद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [(1995) 2 पीएलजेआर 375]** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी काफी हद तक भरोसा किया है, जिसमें उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कलेक्टर की कार्रवाई का विरोध किया जाता है तो वह कब्जा नहीं ले सकता है और ऐसे मामलों में उसे सरकार के अधिकारों के अधिग्रहण के लिए मुकदमा दायर करना होगा। उन्होंने **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मनोहर [(2005) 2 एससीसी 126], हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी अपने सज्जादानसाहिन और मुतवल्ली सैयद शाह मोहम्मद सैफुद्दीन फिरदौसी बनाम बिहार राज्य... हस्तक्षेपकर्ता और अन्य [(2012) 4 पीएलजेआर 112], एम सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) बनाम महंत सुरेश दास और अन्य [(2020) 1 एससीसी 1]** और **सुख दत्त रात्रा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य [(2022) 7 एससीसी 508] सहित अन्य मुद्दों पर विभिन्न अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया है।**

19. रिट याचिकाकर्ता के तर्क के समर्थन में बीएसबीआरटी द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

20. बीएसबीआरटी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणपति त्रिवेदी ने तर्क दिया है कि वर्तमान रिट याचिका में तय किया जाने वाला प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या महंत के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देवता की संपत्ति को महंत की मृत्यु के बाद या यहां तक कि देवता की संपदा/संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए उक्त महंत के किसी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भी नियम 1958 के नियम 356 के तहत जब्त घोषित किया जा सकता है। उक्त ठाकुरबाड़ी बीएसबीआरटी के साथ

अधिनियम 1950 की धारा 34 के तहत पंजीकृत थी, जिसका पंजीकरण नंबर 3107 है। बीएसबीआरटी का यह भी तर्क है कि मंदिर में महंत देवता की संपत्ति के मालिक के समान है और वह मंदिर में प्रतिष्ठित देवताओं के साथ ट्रस्ट के रूप में संपत्ति रखता है। संपत्ति उस पवित्र उद्देश्य में निहित है जो बंदोबस्ती के केंद्र में है जिसे कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर में स्थापित मूर्ति पवित्र उद्देश्य की भौतिक अभिव्यक्ति और कानूनी संबंधों का केंद्र बनती है।

21. यह भी तर्क दिया गया है कि जैसा कि **एम सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) (उपरोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने माना है, यह न केवल अभिव्यक्ति का सार है बल्कि पवित्र उद्देश्य का भौतिक अवतार है। मूर्ति पवित्र उद्देश्य का अवतार और अभिव्यक्ति है जिस पर कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। मूर्ति के विनाश से पवित्र उद्देश्य और परिणामस्वरूप बंदोबस्ती समाप्त नहीं होती है। यहां तक कि जब मूर्ति नष्ट हो जाती है या मूर्ति की उपस्थिति स्वयं रुक-रुक कर या पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाती है, तब भी बंदोबस्ती द्वारा निर्मित कानूनी व्यक्तित्व बना रहता है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को **एम सिद्दीक (मृत) के कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) (उपरोक्त)** के पूर्वोक्त मामले के पैरा-148 पर ले गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 28 के तहत धार्मिक ट्रस्ट का पर्यवेक्षण और प्रशासन बीएसबीआरटी के पास निहित है और इसलिए किसी भी संपत्ति को जब्त करने की घोषणा करने से पहले कलेक्टर को बीएसबीआरटी को नोटिस जारी करना चाहिए था और इसके अभाव में ऐसी घोषणा पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी/बीएसबीआरटी को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है और इस संबंध में बीएसबीआरटी की

ओर से दायर जवाबी हलफनामे में किए गए विशिष्ट कथनों को स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने **कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट एवं अन्न क्षेत्र ट्रस्ट बनाम कलेक्टर, हरिद्वार एवं अन्य [(2017) 16 एससीसी 418]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, विशेष रूप से उसके पैरा-25 पर भी भरोसा किया है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी/राज्य अधिकारी बीएसबीआरटी की पूर्व स्वीकृति के बिना ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत किसी सार्वजनिक ट्रस्ट के शबैत या महंत द्वारा की गई रियायत पर भरोसा नहीं कर सकते।

23. प्रतिवादी संख्या 8 और 9 की ओर से एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है। जिसमें कहा कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी रैयती जमीन को मुक्त कराने के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 23573/2012 दायर किया था, जिसे प्रतिवादी/राज्य ने स्टेडियम निर्माण के लिए वर्ष 1980-81 में लिया था। यह जमीन उन भूखंडों से संबंधित है, जिसके वे एकमात्र मालिक हैं और उस पर उनका कब्जा है। हालांकि, वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 8 और 9 को राज्य सरकार द्वारा पत्र संख्या 531 दिनांक 15.02.2023 (प्रति शपथ पत्र के अनुलग्नक-ए) के तहत अधिग्रहित उनकी जमीन के बदले में जमीन आवंटित की गई है।

24. इसी तरह प्रतिवादी संख्या 10, 11 और 12 की ओर से एक और प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है।लेकिन इसमें यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों और अन्य छह रैयतों का दावा वास्तविक और सत्य पाए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के बदले उन्हें कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। उपरोक्त तर्क के अलावा, यह भी तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता पहले स्टेडियम में चौकीदार के रूप में कार्यरत था और उसे वेतन मिल रहा था, लेकिन बाद में

बीएसबीआरटी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसने खुद को महंत राम किशोरी दास का *चेला* बताना शुरू कर दिया। उनका यह भी तर्क है कि स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास ने भी वर्तमान प्रतिवादियों के पूर्वज से टाइटल सूट/टाइटल अपील को टाइटल अपील संख्या 55/13/1962/75 में दिनांक 22.03.1976 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से खो दिया था, जो टाइटल सूट संख्या 44/7/1962/75 में पारित दिनांक 30.04.1962 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुआ था।

25. अब राज्य के रुख पर आते हैं जो इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक होगा।

26. श्री राज किशोर रॉय, विद्वान सरकारी वकील संख्या 18, ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा, इस तथ्य पर आधारित है कि प्रश्नगत ठाकुरबाड़ी एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, इस साधारण कारण से ध्वस्त हो जाता है कि राज्य अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में बीएसबीआरटी ने पत्र संख्या 2722 दिनांक 24.11.2015 और आगे पत्र संख्या 3182 दिनांक 01.01.2016 प्रस्तुत किया था, लेकिन दोनों पत्रों में पंजीकरण के वर्ष का खुलासा किए बिना दो अलग-अलग पंजीकरण संख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, जो याचिकाकर्ता की *सद्भावना* पर गंभीर संदेह पैदा करती है। आगे यह भी कहा गया है कि स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास के कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी न होने के कारण, उनके द्वारा संचालित संपत्तियों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया था और राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.11.1983 के तहत नियम 356 के तहत दफ़्तर निक्षेपित संपत्ति घोषित कर दिया था, लेकिन वैधानिक अवधि के भीतर बीएसबीआरटी या याचिकाकर्ता की ओर से कभी कोई आपत्ति/दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, महंत राम किशोरी दास की संपत्ति को निक्षेपित घोषित करने की घोषणा वर्ष 1983 में

की गई थी और लंबे समय के बाद, बीएसबीआरटी ने अपने पत्र संख्या 730 दिनांक 27.04.1989 के तहत याचिकाकर्ता को ठाकुरबाड़ी के ट्रस्टी के रूप में मान्यता दी।

27. विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास का उत्तराधिकारी है और वास्तव में याचिकाकर्ता को ज्ञापांक संख्या 2470 दिनांक 25.09.1987 के तहत स्टेडियम की देखभाल के लिए दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था।

28. जहां तक निजी प्रतिवादियों के दावे का सवाल है, जिनकी भूमि स्टेडियम के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, समुचित विचार-विमर्श के बाद उन्हें वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इसके अनुसरण में समाहर्ता, मधुबनी ने विभिन्न पत्राचारों और अभिलेख में कुछ सुधार करने के बाद भूमि के आदान-प्रदान की स्वीकृति के लिए संपूर्ण अभिलेख आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल को भेजा, जिसे बाद में उनके द्वारा पत्र संख्या 1415 दिनांक 21.11.2002 के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से स्वीकृति के लिए अग्रसारित किया गया। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने केवल दो रैयतों मोतीउर्रहमान और बीबी नुजहत खातून को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है तथा अन्य रैयतों का प्रस्ताव अभी भी विभाग के समक्ष लंबित है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने दलीलें पूरी करते हुए याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया कि उन्हें कभी भी अपर समाहर्ता द्वारा कोई हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, बल्कि याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वेच्छा से हलफनामा प्रस्तुत किया था कि उन्हें संबंधित भूमि पर कोई आपत्ति नहीं है।

29. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान वरीय अधिवक्ताओं के साथ-साथ विद्वान सरकारी अधिवक्ता को भी ध्यानपूर्वक सुना है। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विवाद के परिप्रेक्ष्य में, विचारणीय मुख्य मुद्दा यह है कि क्या महंत के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने वाले देवता की अनन्य सम्पत्ति को, देवता की सम्पदा/संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए महंत के किसी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, नियम 1958 के नियम 356 के अन्तर्गत अधिहस्त घोषित किया जा सकता है।

30. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व अधिहस्त से सम्बन्धित प्रावधानों पर विचार करना समीचीन होगा। नियम 1958 का अध्याय-XX अधिहस्त से सम्बन्धित है।

31. नियम 1958 का नियम 356 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि समस्त सम्पत्ति, चाहे वह वास्तविक हो या व्यक्तिगत, जिसका कोई विधिक दावेदार नहीं है, राज्य की है।

32. नियम 357 में व्यवहार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर विचार किया गया है, जब अचल संपत्ति बिना किसी दावेदार के छोड़ दी जाती है, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि न्यायालयों का हस्तक्षेप किसी भी तरह से आवश्यक है; या किसी भी कानून द्वारा इसमें शामिल हो सकता है।

33. बोर्ड और कलेक्टरों के कर्तव्य नियम 358 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। 1810 के विनियमन XIX की धारा 8 के अनुसार, बोर्ड को सभी एस्केट्स के सामान्य अधीक्षण का अधिकार दिया गया है, और उसे स्थानीय एजेंटों के माध्यम से उस प्रकार की किसी भी संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी, और निर्देश देना होगा कि क्या उसे, उसकी राय में, सार्वजनिक खाते में बेचा जाना चाहिए, या

किसी अन्य तरीके से उसका निपटान किया जाना चाहिए। कलेक्टर एक *पदेन* स्थानीय एजेंट होने के नाते, सभी मामलों में आयुक्त और बोर्ड के आदेश के लिए रिपोर्ट करेगा, नियम 359 में उल्लिखित अपवाद के अधीन, जिसमें उसे पता चलता है कि कोई दावा न की गई अचल संपत्ति है। उसे सरकार की ओर से ऐसी संपत्ति पर तत्काल कब्जा कर लेना चाहिए, और साथ ही दावेदारों को यथासंभव सार्वजनिक रूप से संपत्ति पर आमंत्रित करने के लिए उपाय करना चाहिए। यदि कलेक्टर की कार्रवाई का वास्तव में कब्जे में किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसे संपत्ति पर कब्जा करने से बचना चाहिए और सरकार के अधिकार की स्थापना के लिए मुकदमा शुरू करने की राय के साथ संपत्ति के संबंध में परिस्थितियों की रिपोर्ट करनी चाहिए। संपत्ति के दावेदारों को आमंत्रित करने वाले नोटिस छह महीने तक खुले रहने चाहिए।

34. उपर्युक्त नियमों के आयात पर इस न्यायालय ने **श्री अलख नारायण दराद (उपरोक्त)** के मामले में विधिवत विचार किया था, जिसमें विद्वान न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि व्यवहार न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जब तक कि कलेक्टर की कार्रवाई का विरोध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है जिसका उस संपत्ति में हित है जिसे दावेदार के बिना छोड़ दिया गया है।

35. **श्री अलख नारायण दराद (उपरोक्त)** में याचिकाकर्ता की आपत्ति यह थी कि वह बहुमूल्य विचार के लिए स्वर्गीय बी. के. बिश्वास द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर भूमि का *वास्तविक खरीदार* था। स्वर्गीय बी. के. बिश्वास राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित संपत्ति के स्वामी थे, जिनकी संपत्ति को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया था। आपत्ति में आपत्तिकर्ता-याचिकाकर्ता ने कुछ भूमि विभिन्न व्यक्तियों को बेची थी और शेष भूमि उनके कब्जे में है। इस प्रकार, विद्वान न्यायालय ने नियम, 1958 के नियम 357 और 358 का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर के आदेश को

नियम, 1958 के नियम 358 के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना है और निर्देश दिया है कि कलेक्टर को संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से विवादित संपत्ति को राज्य की संपत्ति घोषित करने के बजाय इस नियम के तहत कार्य करना चाहिए था।

36. इसी तरह का मुद्दा **कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट एवं अन्न क्षेत्र ट्रस्ट (उपरोक्त)** के मामले में भी उठाया गया था, जहां निर्धारण का मुद्दा यह था कि क्या कलेक्टर के पास न्यायनिर्णयन मंच की शक्ति को अपने पास मानकर स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार था। कलेक्टर के आदेश में यह संकेत दिया गया है कि धारा 29 के अर्थ में उत्तराधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी या नहीं, यह एक गंभीर विवादित मुद्दा था, जो परस्पर विरोधी दावों के निर्णय पर आधारित था। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को, जिसमें वर्तमान मामले में कलेक्टर भी शामिल है, सिविल विवादों से जुड़े शीर्षक के मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति देना कानून के शासन को नष्ट करने वाला होगा। कलेक्टर राज्य का एक अधिकारी है। वह केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो कानून उसे निजी विवादों में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से प्रदान करता है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया और एक न्यायिक अभ्यास शुरू किया, जो शक्ति उसके पास निहित नहीं थी।

37. अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रश्न पर आते हैं कि क्या महंत के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले देवता की संपत्ति को महंत के निधन पर या उक्त महंत के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में संपदा/संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 1958 के नियम 356 के तहत जब्त घोषित किया जा सकता है। इसी मुद्दे पर **श्री मार्तंड वर्मा (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य बनाम केरल**

राज्य और अन्य [(2021) 1 एससीसी 225] में विचार किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से निपटने के दौरान पुस्तक, हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट्स का संदर्भ दिया, जो *अन्य बातों के साथ-साथ* शेबैट्स के जीवन के विलुप्त होने से निपटता है। यह विधिवत रूप से तब देखा जाता है कि जब संस्थापक द्वारा निर्धारित शेबेट्स की लाइन विलुप्त हो जाती है, या जब शेबेट जिसे नामांकन की शक्ति दी गई है, वह शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, तो प्रबंधकत्व संस्थापक को वापस मिल जाता है जिसने संपत्ति दान की थी या उसके उत्तराधिकारियों को। हालाँकि, यदि शेबेट्स की लाइन विलुप्त हो जाती है, तो संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों को हमेशा अंतिम वापसी होती है और सख्ती से कहा जाए तो शेबेटशिप के हस्तांतरण के संबंध में कोई एस्कीट उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ संस्थापक ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है; और ऐसे मामलों में संस्थापक की संपत्ति दान की गई संपत्ति के साथ राज्य को एस्कीट हो सकती है। ऐसी बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में, राज्य का अधिकार संभवतः संस्थापक के समान ही होगा, और राज्य को डेबटर संपत्ति के लिए शेबेट नियुक्त करना होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि समर्पित संपत्ति को एस्कीट द्वारा प्राप्त करने वाला राज्य ट्रस्ट को समाप्त कर सकता है और इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति मान सकता है।

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **(1889) आईएलआर 12 मैड 287** में रिपोर्ट किए गए **मल्लन बनाम पुरुसोथोमा** के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि एस्कीट के अधिकार से संपत्ति प्राप्त करने वाली सरकार मूल मालिकों द्वारा की गई उस व्यवस्था को समाप्त कर सकती है जिसके तहत एक निश्चित संपत्ति को देवता की पूजा के लिए उपयोग किए जाने के लिए अविभाजित रखा गया था। हालाँकि, इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं है कि संपत्ति वास्तव में देवता को समर्पित थी, और उच्च न्यायालय

की टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि सह-हिस्सेदारों के बीच केवल एक व्यक्तिगत व्यवस्था थी जिसके तहत इसे विभाजन से बाहर रखा गया था। देवता केवल एक आदर्श अर्थ में उपहार का प्राप्तकर्ता है; समर्पित संपत्ति एक समान अर्थ में देवता की है; वास्तव में समर्पित संपत्ति एक मालिकहीन चीज की प्रकृति में है। प्राचीन काल में, संन्यासियों के एक भाईचारे को समर्पित संपत्ति के मामलों को छोड़कर, सभी बंदोबस्ती आमतौर पर संस्थापक द्वारा स्वयं और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रशासित की जाती थी।

39. सीतल दास बनाम संत राम, [एआईआर 1954 एससी 606] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मठ या धार्मिक संस्थाओं के महंत पद का उत्तराधिकार उस विशेष संस्था के रीति-रिवाज या उपयोग द्वारा विनियमित होता है, सिवाय इसके कि उत्तराधिकार का नियम संस्थापक द्वारा स्वयं निर्धारित किया गया हो जिसने बंदोबस्ती बनाई हो।

40. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रोफुल्ला चोरोन रिक्वेट एवं अन्य बनाम सत्य चोरोन रिक्वेट (1979) 3 एससीसी 409** के निर्णय में इस संबंध में सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट में कहा कि शेबैतशिप की अभिव्यक्ति से संबंधित *शेबैत* के कानूनी चरित्र को सटीकता और यथार्थता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता है। व्यापक रूप से वर्णित, वह मूर्ति का मानव सेवक और संरक्षक है, उसका सांसारिक प्रवक्ता है, उसका अधिकृत प्रतिनिधि है जो उसके सभी लौकिक मामलों से निपटने और उसकी संपत्ति का प्रबंधन करने का हकदार है। डेबटर के प्रशासन के संबंध में, उसकी स्थिति एक ट्रस्टी के समान है; फिर भी, वह अंग्रेजी अर्थ में ट्रस्टी की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हिंदू कानून के तहत, मूर्ति को पूरी तरह से समर्पित संपत्ति मूर्ति में निहित होती है, न कि शेबैत में।

41. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **एम. सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) (उपरोक्त)** के मामले में *अन्य बातों के साथ-साथ* शेबैत की भूमिका और स्थिति पर विचार किया। इस मुद्दे पर निर्णय पर विचार करते हुए, पैरा 425 और 429 में यह माना गया, जो इस प्रकार है:

> "*425.* न्यायालय हिंदू मूर्ति को वसीयतकर्ता के पवित्र उद्देश्य के भौतिक अवतार के रूप में मान्यता देते हैं। न्यायिक व्यक्तित्व स्वयंभू देवता को भी प्रदान किया जा सकता है जो प्रकृति में स्वयं प्रकट होता है। मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है जिसमें दान की गई संपत्ति का अधिकार निहित होता है। मूर्ति को प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है। संपत्ति मूर्ति में केवल आदर्श अर्थ में निहित होती है। मूर्ति को किसी मानव एजेंसी के माध्यम से कार्य करना चाहिए जो उसकी संपत्तियों का प्रबंधन करेगी, पूजा से जुड़े समारोहों के प्रदर्शन की व्यवस्था करेगी और मूर्ति की ओर से कार्यवाही करके अन्य बातों के साथ-साथ बंदोबस्ती की रक्षा के लिए कदम उठाएगी। शेबैत वह मानव व्यक्ति है जो इस भूमिका का निर्वहन करता है।
>
> *429.* किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शेबैत के रूप में मान्यता देना देवता के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार का एक वास्तविक प्रावधान है। शेबैत की स्थिति का एक आवश्यक सहायक, मूर्ति की ओर से

कार्रवाई करने और उसे और उसकी संपत्तियों को परिणामों से बांधने का अधिकार है। जिस उद्देश्य के लिए मूर्ति को पवित्र उद्देश्य के भौतिक अवतार के रूप में कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है, वह मानव एजेंट, यानी शेबैत के कार्यों के माध्यम से संरक्षित और साकार होता है। शेबैत को मूर्ति और उसकी संपत्तियों के संबंध में दाता के उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति और कर्तव्य सौंपा गया है। अधिकांश मामलों में, एक शेबैत को समर्पण विलेख की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा संपत्ति मूर्ति को दान की जाती है। इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून या तो दानकर्ता या दान विलेख में नामित व्यक्ति को शेबैत के रूप में मान्यता देता है। *स्पष्ट रूप से नियुक्त या पहचाने गए शेबैत की अनुपस्थिति में, कानून ने वास्तविक शेबैत की मान्यता द्वारा मूर्ति की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।* जहां कोई व्यक्ति देवता के मामलों के पूर्ण और निरंतर प्रबंधन में है और साथ ही संबंधित संपत्ति पर लंबे, अनन्य और निर्बाध कब्जे में है, ऐसे व्यक्ति को शेबैत के अधिकारों के लिए कानूनी शीर्षक की अनुपस्थिति के बावजूद शेबैत के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इस पर निर्णय के दौरान ध्यान दिया जाएगा।"

(जोर दिया गया)

42. यह ध्यान देने योग्य होगा कि यदि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, तो हिंदू कानून के तहत, मंदिर/ठाकुरबाड़ी की मूर्ति एक न्यायिक व्यक्ति है और इसलिए, मंदिर का स्वामित्व और मूर्ति के समक्ष चढ़ाए गए चढ़ावे सहित इसकी सभी संपत्तियां मूर्ति की संपत्ति बनती है।

43. स्पष्ट रूप से नियुक्त या पहचाने गए शेबैत की अनुपस्थिति में, कानून ने वास्तविक शेबैत की मान्यता द्वारा मूर्ति की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। **एम सिद्दीक (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (राम जन्मभूमि मंदिर मामला) (उपरोक्त)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मूर्ति स्थापित की जाती है और मंदिर का निर्माण किया जाता है या बंदोबस्ती बनाई जाती है, तो शेबेटशिप संस्थापक में निहित होती है और जब तक संस्थापक ने खुद शेबेटशिप का किसी विशेष तरीके से निपटान नहीं किया है या कोई उपयोग या प्रथा या परिस्थितियाँ हस्तांतरण के एक अलग तरीके को दर्शाती हैं, तब तक शेबेटशिप किसी भी अन्य प्रकार की विरासत वाली संपत्ति की तरह संस्थापक से विरासत की रेखा का अनुसरण करती है; और उत्तराधिकार का एक नया नियम निर्धारित करना या उत्तराधिकार के नियम को बदलना न्यायालय के लिए खुला नहीं है।

44. इस स्थापित सिद्धांत की कसौटी पर, यदि वर्तमान मामले पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि अभिलेख पर न तो कोई बंदोबस्ती है और न ही कोई प्रतिज्ञापत्र। तथापि, राज्य ने स्वयं ही विचाराधीन ठाकुरबाड़ी को मान्यता दी और वर्ष 1979 में बीएसबीआरटी को पत्र लिखकर उक्त महंत राम किशोरी दास की मृत्यु के संबंध में जानकारी मांगी और यह भी बताने का निर्देश दिया कि ठाकुरबाड़ी बोर्ड में

पंजीकृत थी या नहीं। इस तथ्य के बावजूद कि ठाकुरबाड़ी की भूमि किसी ट्रस्टी या शेबैत द्वारा संरक्षित की जानी थी और अस्वीकृत संपत्ति महंत की थी, लेकिन भूमि के अंतिम स्वामी देवता स्वयं कहे जाते हैं। पूर्वोक्त तथ्यों के बावजूद कि किसी बंदोबस्ती या प्रतिज्ञापत्र के अभाव में उत्तराधिकार का कोई कानून नहीं होगा; भूमि को जिस तिथि को अधिहस्त घोषित किया गया था, उस पर किसी भी ओर से कोई आपत्ति नहीं की जाती है।

45. जहां तक याचिकाकर्ता और प्रतिवादी/बीएसबीआरटी की दलील का सवाल है, वे एक ही बात कहते हैं कि विचाराधीन ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट की संपत्ति है जो बीएसबीआरटी के साथ सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। हालांकि, यह सच है कि पहली बार याचिकाकर्ता ने वर्ष 1989 में ट्रस्टी के रूप में मान्यता दी थी, जब राज्य अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया गया था।

46. पहली बार बीएसबीआरटी ने पत्र संख्या 2722 दिनांक 24.11.2015 के तहत पंजीकरण संख्या भी जारी की, जिसमें पंजीकरण संख्या 3107 बताई गई है। इसके बाद, ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 1664 पत्र संख्या 3182 दिनांक 01.01.016 के तहत दी गई, लेकिन पंजीकरण किस वर्ष किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद, जब राज्य के अधिकारियों को इस तरह के पंजीकरण पर संदेह हुआ, तो बीएसबीआरटी ने अनुलग्नक आर/1 के माध्यम से ठाकुरबाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 12.09.2023 को विधिवत शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की, जिसमें पंजीकरण संख्या 3107 बताई गई। पंजीकरण प्रमाण पत्र में पंजीकरण संख्या तो बताई गई है, लेकिन वर्ष नहीं। हालांकि, टिप्पणी कॉलम में पंजीकरण की तारीख 06.04.1989 दिखाई देती है, यानी कलेक्टर, मधुबनी द्वारा पत्र संख्या 765 दिनांक 28.11.1979 के माध्यम से जारी पत्र के काफी बाद, जिसमें महंत राम किशोरी दास की

मृत्यु के बारे में खुलासा किया गया था। पहली बार, बीएसबीआरटी ने 27.04.1989 के प्रमाण पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास के *चेले* के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र जारी किया।

47.रिट याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी/राज्य अधिकारियों को ठाकुरबाड़ी की भूमि पर कोई निर्माण न करने के लिए पाबंद करने के लिए सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 995/1996 भी दायर किया। फिर भी, रिट याचिकाकर्ता और बी.एस.बी.आर.टी. ने वर्ष 1983 में या कम से कम उस समय जब निजी प्रतिवादियों की भूमि स्टेडियम के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी या जब स्वर्गीय महंत राम किशोरी दास की भूमि से निजी प्रतिवादियों की भूमि के आदान-प्रदान का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे वर्ष 1983 में जब्त घोषित किया गया था, संपत्ति को जब्त घोषित करने वाले कलेक्टर, मधुबनी के निर्णय पर किसी भी अवसर पर या यहां तक कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 995/1996 में भी सवाल नहीं उठाया गया है। पहली बार, रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में, आई.ए. संख्या 1/2023 के माध्यम से मधुबनी जिला राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 01.11.1983 के मसौदा अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत ठाकुरबाड़ी की 14.09 एकड़ भूमि पर कब्जा करने के संबंध में उक्त विवादित मसौदा के प्रकाशन के एक महीने के भीतर संपत्ति पर किसी भी दावे के संबंध में आपत्ति मांगी गई थी।

48. दूसरी ओर, यह न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि राज्य प्रतिवादी नियम 1958 के नियम 356 और 358 के तहत अपेक्षित संपत्ति को एस्कीट घोषित करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से आपत्ति आमंत्रित करने वाली राजपत्र अधिसूचना रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहे।

49. यह न्यायालय यह भी पाता है कि बीएसबीआरटी द्वारा संपत्ति को सार्वजनिक ट्रस्ट होने का दावा करने और याचिकाकर्ता को शेबैत या ट्रस्टी के रूप में मान्यता देने की कार्रवाई सद्भावनापूर्ण नहीं है और संदेह से मुक्त नहीं है। ठाकुरबाड़ी का पंजीकरण या याचिकाकर्ता को शेबैत/ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने की सभी कार्रवाइयाँ राज्य अधिकारियों द्वारा बीएसबीआरटी को दी गई सूचना के बाद की गई हैं। याचिकाकर्ता द्वारा खुद को शेबैत/ट्रस्टी होने का दावा करने की वास्तविकता में कोई दम नहीं है।

50. इसके अलावा न्यायालय ने विवादित आदेश का अवलोकन करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि विद्वान न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 995/1996 में प्रस्तुत मुद्दे पर न तो विचार किया गया है और न ही किसी भी तरह से इसका उत्तर दिया गया है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि बी.एस.बी.आर.टी. और कुछ अन्य हितधारकों को अपना मामला रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है।

51. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय के पास समाहर्ता, मधुबनी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 22.02.2018 को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक-11 में निहित है, जिसमें बी.एस.बी.आर.टी. को कानून के अनुसार बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 43 के तहत सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई है। न्यायाधिकरण उपरोक्त अवलोकन के मद्देनजर सभी संबंधितों को उचित नोटिस देने के बाद, *अन्य बातों के साथ-साथ,* पक्षों के बीच सभी विवादों का फैसला करेगा। पक्षकारों को अपने मामले सभी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

52. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम अवधि के दौरान राज्य या उसके अधिकारियों की प्रत्येक कार्रवाई न्यायाधिकरण के परिणामी आदेश द्वारा निर्देशित होगी।

53. रिट याचिका का निपटारा ऊपर बताए गए सीमा तक किया जाता है।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

रोहित/उदय -

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।